भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1812

(जिसका उत्तर मंगलवार, 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

कर संबंधी नियमों का अनुपालन और विवादों का निपटारा आसान होना

1812 श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्रीमती संगीता यादवः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
डा. के. लक्ष्मणः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयकर विभाग ने करदाताओं की आयकर अधिनियम, 1961 से आयकर अधिनियम, 2025 की ओर उन्मुख होने में मदद करने के लिए कोई अभियान चलाया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) संशोधित मौद्रिक सीमाओं के कारण फोरम-वार और कर-वार कितने मामले वापस लिए गए, दायर नहीं किए गए या उन पर अन्यथा क्या असर पड़ा, साथ ही कानूनी विवादों के बोझ और विवादों में फंसी कर मांग में आई अनुमानित कमी कितनी है; और
(घ) क्या सीबीडीटी ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन आसान बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हाँ।
(ख) आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान 'प्रारंभ 2026' (मिशन विकसित भारत के लिए नीतिगत सुधार और उत्तरदायी कार्रवाई) की शुरुआत की है। इस अभियान में देशभर में करदाताओं के लिए कार्यशालाएं, बहुभाषी जागरूकता सामग्री, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), 'कर सेतु - *पुराने और नए कर अधिनियम के बीच सेतु*' नामक प्रकाशन, MyGov प्लैटफॉर्म पर एक इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तरी, मुद्रित और बाहरी प्रचार अभियान और आयकर वेबसाइट 2.0 तथा एआई-सक्षम चैटबॉट 'कर साथी' जैसी डिजिटल पहलों का प्रचार शामिल था। अभियान का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(i) शैक्षिक एवं जागरूकता सामग्री: व्यापक बहुभाषी शैक्षिक सामग्री तैयार करके वितरित की गई है। नए शुरू किए गए प्रपत्रों और प्रक्रियाओं पर विवरणिका (ब्रोशरों) की एक श्रृंखला अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करके प्रकाशित की गई। ब्रोशरों और प्रकाशनों की 1.75 लाख से अधिक प्रतियां क्षेत्रीय इकाइयों और आयकर सेवा केंद्रों (एएसके) के माध्यम से वितरित की गई हैं।

(ii) डिजिटल पहुंच: क्यूआर-सक्षम ब्रोशरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार का लाभ उठाया गया है, जो डिजिटल व्याख्यात्मक सामग्री और संवाद वीडियो सत्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभाग ने करदाताओं को नए अधिनियम के प्रावधानों को समझने में सहायता करने के लिए एआई-सक्षम चैटबॉट "कर साथी" का भी उपयोग किया है।

(iii) प्रारंभ 2026 के अंतर्गत कुल 304 प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर में आयोजित किए गए। देश भर में आयोजित प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रमों में लगभग 50,000 करदाताओं और हितधारकों ने भाग लिया।

(ग) सरकार ने सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से विभागीय अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है। परिपत्र के अनुसार संशोधित मौद्रिक सीमा के कारण वापस लिए गए/दाखिल नहीं किए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	न्यायाधिकरण	परिपत्र संख्या 9/2024 जारी होने के कारण वापस लिए गए मामलों की संख्या	परिपत्र संख्या 9/2024 जारी होने के बाद मौद्रिक सीमा में वृद्धि के कारण दाखिल न की गई अपीलों की संख्या	विवादित कर मांग में कुल अनुमानित कमी (करोड़ में)
1.	आईटीएटी	443	11,390	3662.82
2.	उच्च न्यायालय	4791	5,565	9,218.71
3.	सर्वोच्च न्यायालय	744	534	3,807.15

(घ)(i) जी हाँ, सीबीडीटी ने पिछले पाँच वर्षों में कर अनुपालन को आसान बनाने और करदाता सेवाओं में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं।

(ii) पिछले 5 वर्षों के दौरान की गई कुछ प्रमुख पहलों में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की शुरुआत; कम या शून्य दर पर आयकर कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाण पत्र जारी करना और स्रोत पर कर कटौती न होने की घोषणा सीधे डिपॉजिटरी को दाखिल करना; अनिवासी द्वारा निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को अचल संपत्ति की बिक्री पर अनुपालन में कमी; आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस को हटाना; बहु-वर्षीय स्वतंत्र बाजार मूल्य (आर्म्स लेंथ) निर्धारण करने के लिए मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) प्रावधानों का युक्तिकरण; अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की संबद्ध इकाई को संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा; सुरक्षित आश्रय व्यवस्था (सेफ हार्बर रिजीम) का युक्तिकरण और सरलीकरण तथा प्रकल्पित कराधान स्कीम का विस्तार शामिल हैं।
